

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

पवन कुमार

रामश्री आदि

दावा बाबत :- 88, 89 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 183/2021

निर्णय दिनांक :- 20-10-2021

वादी की ओर से वकील मुंशी राम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० 1/11/16 की ओर से वकील सरजीता विजाराबायी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 20-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही मौजा चक 9Ams के खाता सं० 126/1124 के मु.न. 66 के किला नं० 179 24 की 0.506 हे० नदरी प्रतिवादी सं० 1 के नाम व रोही चक 9Ams के खाता सं० 127/125 के मु.न. 66 के किला नं० 8/2, 9/2, 10/2, 11 ता 13, 18, 19/2, 20/2, 23, मु.न. 77 के किला नं० 13/1, 16 ता 18, 23 ता 25, मु.न. 84 के किला नं० 3 ता 5 कुल 3.490 हे० जिसमें नदरी 3.4270 हे०, गे० मु. रास्ता 0.0130 हे०, गे० मु. खाला 0.0500 हे० खेतदारी प्रतिवादी सं० 1 के नाम पवन के व प्रतिवादी सं० 1 को व हिस्सा बराबर के खातेदार का मुकदमा बौधिका विजु पात है मु.न. प्रतिवादी सं० 2 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हल व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में त्याग कर मु.न. करू लिखा है इसलिए त्याग लिपि गेटे हिस्स पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन मुकद एवं हयाम उयुये अयु नरने व यदि कृषि मुक्ति बेंक को रदन हो तो रदनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में आयु परामद की जावे। राजीनामा का डिप्टी का माग पठा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)